सार्वजनिक सूचना

राज्य के उन्मुक्त अभिगमन बिजली उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करने की अनिवार्यता के कारण यूपीसीएल द्वारा वहन की जाने वाली स्थायी लागत की वसूली के लिये यूपीसीएल द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अन्तर्गत अतिरिक्त सरचार्ज निर्धारण के लिये दायर की गयी याचिका पर विचार आंमत्रित किये जाते है

1. यूपीसीएल, उत्तराखण्ड़ राज्य की एकमात्र विद्युत वितरण एवं खुदरा आपूर्ति अनुज्ञापी कम्पनी ने राज्य के उन्मुक्त अभिगमन बिजली उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की अनिवार्यता के कारण वहन की जाने वाली स्थायी लागत की वसूली के लिये उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अन्तर्गत अतिरिक्त सरचार्ज के निर्धारण हेतु एक याचिका उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के समक्ष दायर की है।

2. वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये उन्मुक्त अभिगमन बिजली उपभोक्ताओं से चार्ज किये जाने वाले अतिरिक्त सरचार्ज की गणना निम्नानुसार की गयी है:

क्रम संख्या	विवरण	मान (Values)
अ.	वित्तीय वर्ष 2019–20 के टैरिफ आदेश में अनुमोदित कुल विद्युत क्रय लागत	रु0 5400.74 करोड़
ब.	अप्रैल, 2018 से सितम्बर, 2018 की अवधि में स्थायी विद्युत क्रय लागत के कुल विद्युत क्रय लागत पर अनुपात के आधार पर वर्ष 2019–20 के लिये अनुमानित स्थायी विद्युत क्रय लागत (रु0 5400.74 करोड / रु0 2756.24 X रु0 849.24 करोड़)	रु0 1664.05 करोड़
स.	वर्ष 2019–20 के लिये अनुमोदित विद्युत विक्रय	12397.76 मिलियन यूनिट
द.	अतिरिक्त सरचार्ज (ब/स)	रु0 1.34 प्रति यूनिट
य.	40 प्रतिशत से अधिक लोड फैक्टर वाले एच.टी. औद्योगिक उपभोक्ताओं पर सामान्य समय (normal hours) अवधि में लागू इनर्जी चार्ज	रु0 4.35 / केवीएएच
र.	प्रतिशत इनर्जी चार्ज पर अतिरिक्त सरचार्ज (रु0 1.34 प्रति यूनिट/रु0 4.35 प्रति यूनिट)	इनर्जी चार्ज का 30.80 प्रतिशत

3. याचिका पर उपभोक्ताओं एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स के सुझाव/मत, यदि कोई हो, आंमत्रित किये जाते है। ये सुझाव/मत व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड़ विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, निकट आई0एस0बी0टी0, पोस्ट आफिस– माजरा, देहरादून –248171 को अथवा ई–मेल (secy.uerc@gov.in) पर दिनांक 25–05–2019 तक भेजे जा सकते है।

4. विस्तृत याचिका किसी भी कार्य दिवस में आयोग अथवा मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), वीसीवी गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड़, देहरादून/ मुख्य अभियन्ता (वितरण), गढ़वाल क्षेत्र, उत्तराखण्ड़ पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 120–हरिद्वार रोड़, देहरादून/ मुख्य अभियन्ता (वितरण), कुमांऊ क्षेत्र, उत्तराखण्ड़ पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 132 – के0वी0 सबस्टेशन, काठगोदाम, हल्द्वानी / मुख्य अभियन्ता (वितरण), हरिद्वार क्षेत्र, उत्तराखण्ड़ पावर कारपोरेशन लिमिटेड, रोशनाबाद, हरिद्वार/ मुख्य अभियन्ता (वितरण), उधमसिंह नगर क्षेत्र, उत्तराखण्ड़ पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 33 केवी सबस्टेशन, सेक्टर–2, सिडकुल, पंतनगर,रुद्रपुर–263153 पर बिना किसी खर्च के देखी जा सकती है। याचिका के सम्बन्धित प्रपत्र यूपीसीएल के उपर्युक्त वर्णित कार्यालयों से प्राप्त किये जा सकते है।

5. उक्त याचिका आयोग की वेबसाईट (www.uerc.gov.in) एवं यूपीसीएल की वेबसाईट (www.upcl.org) पर भी उपलब्ध है।

(बी.सी.के. मिश्रा)
प्रबन्ध निदेशक